घट रहीं बैंकों की ब्याज दरें

कहां करें वैकल्पिक निवेश?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 27 मार्च और 22 मई 2020 को रेपो दर में क्रमशः 0.75 और 0.40 प्रतिशत की कमी की घोषणा के बाद, विभिन्न बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भविष्य में भी ब्याज दरों में और कटौती से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों के पास क्या निवेश के ऐसे विकल्प हैं, जिससे उनकी ब्याज से कमाई में ज्यादा कमी न हो।

दीपक पाण्डे

आजकल अधिकांश बैंक 50 लाख रुपये तक **बचत खाता** जमा राशि पर कम ब्याज दर और 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए भिन्न दर की पेशकश करते हैं, बैंक आफ बड़ोदा 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए 3 प्रतिशत और एक लाख से अधिक राशि के लिए 2.75 प्रतिशत की पेशकश करता है, जबकि आईडीएफसी बैंक 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए 6 प्रतिशत और 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करता है। एसबीआई आपकी जमाराशि पर 2.75 प्रतिशत की एक समान दर से ब्याज प्रदान करता है। बचत जमा ब्याज दर पर कोई टीडीएस लागू नहीं है। 10 हजार रुपये तक की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 टीटीए के तहत एक वित्तीय वर्ष में छूट दी गई है। अनिवासी साधारण बचत जमाओं के लिए, टीडीएस 30 प्रतिशत की दर से ब्याज पर लागू हैं, जबकि गैर–निवासी बाहरी बचत जमा ब्याज कर–मुक्त है।

घटा ब्याज, तो घटी कमाई, एक चौथाई की कमी आई

ब्याज की इन घटी दरों ने आपकी कमाई पर किस तरह कैंची चलायी है, इसे हम एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बैंक से दस लाख रूपये की एफडी 9 प्रतिशत ब्याज की दर से बनवाई थी, तो उस पर आप सालाना 90 हजार रूपये ब्याज पा रहे थे। अगर वही दस लाख रूपये की रकम आप आज स्टेट बैंक में वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से जमा करते हैं, तो अधिकतम 6.5 फीसदी की ब्याज दर से आपको सालाना 65 हजार रूपये की रकम

ब्याज के रूप में मिलेगी। अर्थात दो साल में आपकी ब्याज से आमदनी 25 हजार रूपये सालाना घट जाएगी। दूसरे शब्दों में ब्याज से आपकी सालाना आमदनी एक चौथाई से अधिक यानि सालाना 27.5 फीसदी कम हो जाएगी। ऐसे में यदि आप सालाना 90 हजार रूपये ब्याज के रूप में कमाना चाहते हैं, तो अब आपको 10 लाख की जगह बैंक में 13.85 लाख रूपये की एफडी बनवानी होगी।

बैंक का नाम	फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें		बचत जमा पर ब्याज दरें
	सामान्य जन	वरिष्ठ नागरिक	
एक्सिस बैंक	3.50 % से 6.10%	3.50 % से 6.60%	3.50 % से 4.00%
बैंक ऑफ बड़ौदा	3.50 % से 5.70%	4.00 % से 6.20%	2.75 % से 3.00%
केनरा बैंक	4.00 % से 5.70%	4.00 % से 6.20%	3.25 % से 3.75%
एचडीएफसी बैंक	3.00 % से 6.00%	3.50 % से 6.50%	3.50 % से 4.00%
आईसीआईसीआई बैंक	3.25 % से 5.75%	3.75 % से 6.25%	3.00 % से 3.50%
आईडीएफसी बैंक	4.00 % से 7.25%	4.50 % से 7.75%	6.00 % से 7.00%
पंजाब नेशनल बैंक	3.50 % से 5.75%	4.00% से 6.25%	3.50 % से 4.00%
भारतीय स्टेट बैंक	3.30 % से 5.70%	3.80 % से 6.50%	2.75%

*ब्याज दरों में बदलाव बैंकों के विवेकाधीन

ये हो सकते हैं वैकल्पिक निवेश

चूँकि बैंक सावधि जमा पर ब्याज दर घट गई है ऐसी स्थिति में जमाकर्ता या निवेशकों का झुकाव वैकल्पिक निवेश की ओर बढ़ रहा हैं। बैंकों द्वारा सावधि जमा पर देय ब्याज दर से कुछ अधिक निश्चित ब्याज राशि प्राप्ति हेतु वैकल्पिक निवेश के अवसर बैंक जमा प्रमाणपत्र (सीडी) न्यूनतम निवेश रुपये 5 लाख, डाकघर सावधि जमा योजनायें, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), साँवरेन गोल्ड बांड योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपये 1.5 लाख और 7.15 प्रतिशत भारत सरकार कर योग्य बांड योजना के अंतर्गत उपलब्ध हैं। सरकारी छोटी बचत योजनाओं (एसएसएस) पर ब्याज दर हर तिमाही की शुरुआत में रीसेट कर दी जाती है। साँवरेन गोल्ड बान्ड निवेश बाजार भाव के उतार–चढ़ाव के अधीन रहता हैं। इसमें निवेशित राशि पर सालाना 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निवेशकों की रिस्क प्रोफाइल की पहचान कन्सर्वटिव, माडरेट और अग्रेसिव के रूप में की गई हैं। माडरेट व अग्रेसिव प्रोफाइल वाले निवेशक प्रत्यक्ष इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेन्सड् म्यूचूअल फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप), नेशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश कर सकते हैं। बाजार से

वैकल्पिक निवेश

- बैंक जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
- डाकघर सावधि जमा योजनायें
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- किसान विकास पत्र
- सुकन्या समृद्धि योजना
- साँवरेन गोल्ड बांड योजना
- सार्वजनिक भविष्य निधि

जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि अनुभवजन्य डेटा लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न का संकेत देते हैं। प्रत्यक्ष इक्विटी, इक्विटी लिंकेड इंस्ट्रुमेंटस व डेट इंस्ट्रुमेंटस में निवेश करने पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ लिया जा सकता है, जो इक्विटी व इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रुमेंटस के लिये शार्ट टर्म 12 माह से कम व लोंग टर्म 12 माह या अधिक और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 36 माह या अधिक अवधि के निवेश पर लागु होता है। बाजार से जुड़े इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश का निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

ये भी जानिए

हमारे देश में बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए सावधि जमा राशि स्वीकार करते हैं और जमा की अवधि के अनुसार उस पर ब्याज देते हैं। कुछ बैंक जमाराशि की समय पूर्व निकासी के लिए जुर्माना वसूलते हैं। हाल में लिये गए एक फैसले के बाद अब किसी बैंक के डूबने पर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की गारंटी से वापसी का प्रावधान है। आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कर में छूट, बैंक सावधि जमा पर 5 वर्ष की लाक–इन अवधि के साथ उपलब्ध है, जबकि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज जमाकर्ता के हाथों में पूरी तरह से करयोग्य है। जब एक वित्तीय वर्ष में ब्याज राशि 40,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो बैंकों को स्रोत पर (टीडीएस) 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करनी होती है । यदि जमाकर्ता पैन कार्ड प्रस्तुत नहीं करता है तो टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से लागू होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस तब लागू होता है जब एक वित्तीय वर्ष में देय ब्याज रु 50,000 से अधिक हो, जो उनके लिये कर मुक्त सीमा हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए फार्म 15एच और अन्य के लिए फार्म 15जी जमा करने का प्रावधान है, अगर स्रोत पर टैक्स बैंकों द्वारा नहीं काटा जायें, बशर्ते कुल आय आयकर सीमा के अंतर्गत हो। अनिवासी साधारण (एनआरओ) सावधि जमा पर टीडीएस 30 प्रतिशत की दर से लागू होता है। अनिवासी बाहरी (एनआरई) सावधि जमा और विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा पर देय ब्याज पर स्त्रोत पर कर कटौती नहीं होती है, क्योंकि इन जमाओं पर ब्याज आयकर मुक्त है।

(लेखक एक्सिस बैंक के पूर्व सीनियर वाईस प्रेसिडेन्ट हैं)